विदेशी मुद्रा गतिविधियां*

दिसंबर 2010

अपने ग्राहक को जनिये (केवाइसी) मापदंड /धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) करने/धनशोधण निवारण (संशोधन)अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्राधिकृत व्यक्तियों का दायित्व - मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियां

प्राधिकृत व्यक्तियों (एपी) को सूचित किया जाता है कि समय-समय पर जारी वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) विवरणों के अतिरिक्त, एफएटीएफ की सिफारिशें लागू न करनेवाले अथवा अपर्याप्त रूप से लागू करने वाले देशों को पहचानने के लिए उन्हें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का उपयोग करने पर भी विचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकृत व्यक्तियों (एपी) को एफएटीएफ की सिफारिशें लागू न करनेवाले अथवा अपर्याप्त रूप से लागू करने वाले देशों और एफएटीएफ विवरणों में सम्मिलित किये गये क्षेत्राधिकार के तहत आनेवाले देशों से अथवा देशों में व्यक्तियों (विधिक व्यक्ति और अन्य वित्तीय संस्थाओं सहित) के साथ व्यवसाय संबंध तथा लेनदेन करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए।

प्राधिकृत व्यक्तियों को सूचित किया गया है कि अपने ग्राहक को जानिये की प्रभावी क्रियाविधि का अत्यंत आवश्यक घटक है सतत निगरानी रखना, अतः वे वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) विवरणों में सम्मिलित किये गये क्षेत्राधिकार से और वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स की सिफारिशें लागू न करनेवाले देशों के व्यक्तियों (विधिक व्यक्ति और अन्य वित्तीय संस्थाओं सहित) की पृष्ठभूमि तथा लेनदेनों के प्रयोजन की जांच करें। इसके अतिरिक्त, यदि लेनदेनों का कोई स्पष्ट आर्थिक अथवा प्रत्यक्ष कानूनी प्रयोजन नहीं है तो ऐसे लेनदेनों की पृष्ठभूमि तथा प्रयोजन की यथासंभव जांच की जानी चाहिए और सभी दस्तावेजों के साथ लिखित निष्कर्ष अपने पास रखने चाहिए तथा अनुरोध किये जाने पर रिज़र्व बैंक (अन्य संबंधित प्राधिकरण) को उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

[ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.20
दिनांक 30 नवंबर 2010]

अपने ग्राहक को जानिये (केवाइसी) मापदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) करने/धनशोधण निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्राधिकृत व्यक्तियों का दायित्व - धन अंतरण सेवा योजना के तहत सीमापार आवक विप्रेषण

प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंट) को सूचित किया गया है कि वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) विवरण में पहचाने गये अनुसार क्षेत्राधिकार में इन क्षेत्रों से किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय एएमएल/सीएफटी प्रणाली में समय पर पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों को ध्यान में रखना आवश्यक है। उन्हें सूचित किया जाता है कि समय समय पर जारी वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) विवरणों के अतिरिक्त वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की सिफारिशें लागू न करनेवाले अथवा अपर्यात रूप से लागू करने वाले देशों को पहचानने के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का उपयोग करने पर भी विचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंट) को, वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की सिफारिशें लागू न करनेवाले अथवा अपर्याप्त रूप से लागू करने वाले देशों और वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) विवरणों में सम्मिलित किये गये क्षेत्राधिकार के तहत आनेवाले देशों से अथवा देशों में व्यक्तियों (विविध व्यक्ति और अन्य वित्तीय संस्थाओं सहित) के साथ व्यवसाय संबंध तथा लेनदेन करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए।

प्राधिकृत व्यक्तियों को सूचित किया गया है कि अपने ग्राहक को जानिये की प्रभावी क्रियाविधि का अत्यंत आवश्यक घटक है सतत निगरानी रखना, अतः वे वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) विवरणों में सम्मिलित किये गये क्षेत्राधिकार से और वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स की सिफारिशें लागू न करनेवाले देशों के व्यक्तियों (विधिक व्यक्ति और अन्य वित्तीय संस्थाओं सहित) की पृष्ठभूमि तथा लेनदेनों के प्रयोजन की जांच करें। इसके अतिरिक्त, यदि लेनदेनों का कोई स्पष्ट आर्थिक अथवा प्रत्यक्ष कानूनी प्रयोजन नहीं है तो ऐसे लेनदेनों की पृष्ठभूमि तथा प्रयोजन की यथासंभव जांच की जानी चाहिए और

* दिसंबर 2010 के दौरान किए गए महत्त्वपूर्ण नीतिगत उपाय

सभी दस्तावेजों के साथ लिखित निष्कर्ष अपने पास रखने चाहिए तथा अनुरोध किये जाने पर रिज़र्व बैंक (अन्य संबंधित प्राधिकरण) को उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

[ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.21
दिनांक 30 नवंबर 2010]

एक्जिम बैंक की लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की सरकार को 72.55 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की सरकार के साथ लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में (i) नाबोन से थाबोक तक 230 केवी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन और सबस्टेशन (34.68 मिलियन अमरीकी डॉलर) तथा (ii) नाम बोन 2 हाइड्रोपॉवर प्रोजेक्टस् (15 एमडब्ल्यू) (37.86 मिलियन अमरीकी डॉलर) के वित्तपोषण के प्रायोजन के लिए भारत से सुयोग्य वस्तुओं और परामर्शदात्री सेवाओं सहित सेवाओं के वित्तपोषण के लिए 72.55 मिलियन अमरीकी डॉलर (बहत्तर मिलियन पांच सौ पचास हजार अमरीकी डॉलर मात्र) की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए 13 सितंबर 2010 को एक करार किया है। यह ऋण करार 2 नवंबर 2010 को लागू हो गया है और इस करार के निष्पादन की तारीख 13 सितंबर 2010 है। इस साखपत्र के तहत परियोजना निर्यात के मामले में साख पत्र खोलने तथा संवितरण की अंतिम तारीख संविदा (संविदाएं) पूर्ण होने की निर्धारित तारीख (तारीखों) से 48 माह होगी और आपूर्ति संविदा के मामले में करार निष्पादन की तारीख से 72 माह (12 सितंबर 2016) होगी।

[ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.22
दिनांक 3 दिसंबर 2010]

एक्जिम बैंक की डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो की सरकार को 42 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो की सरकार के साथ कोंगो काकोबोला हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्रोजेक्ट के वित्तपोषण के प्रयोजन के लिए भारत से सुयोग्य वस्तुओं और परामर्शदात्री सेवाओं सहित सेवाओं के वित्तपोषण के लिए 42 मिलियन अमरीकी डॉलर (बयालीस मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए 05 अगस्त 2010 को एक करार किया है। यह ऋण करार 19 नवंबर 2010 को लागू हो गया है और इस करार के निष्पादन की तारीख 05 अगस्त 2010 है। इस साखपत्र के तहत परियोजना निर्यात के मामले में साख पत्र खोलने तथा संवितरण की अंतिम तारीख संविदा (संविदाएं) पूर्ण होने की निर्धारित तारीख (तारीखों) से 48 माह होगी और आपूर्ति संविदा के मामले में निष्पादन की तारीख से 72 माह (04 अगस्त 2016) होगी।

[ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.23
दिनांक 10 दिसंबर 2010]

धन शोधन निवारण (लेनदेनों के स्वरूप और लागत के अभिलेखों का रखरखाव, रखरखाव की प्रक्रिया और पद्धति तथा जानकारी प्रस्तुत करने के लिए समय और बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव) द्वितीय संशोधन नियम, 2010 - प्राधिकृत व्यक्तियों के दायित्व

भारत सरकार ने 16 जून 2010 की अपनी अधिसूचना सं.10/2010-ई.एस./एफ.सं.6/8/2009-ई.एस. के जरिये धन शोधन निवारण (लेनदेनों के स्वरूप और लागत के अभिलेखों का रखरखाव, रखरखाव की प्रक्रिया और पद्धति तथा जानकारी प्रस्तुत करने के लिए समय और बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव) नियम, 2005 में संशोधन किया है। अधिसूचना की प्रति जानकारी तथा अनुपालन के लिए संलग्न है।

[ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.24 /ए.पी.(एफएल/
आरएल सिरीज) परिपत्र सं.05 दिनांक 13 दिसंबर 2010]

अपने ग्राहक को जानिये (केवाइसी) मापदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) करने /धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्राधिकृत व्यक्तियों का दायित्व - मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियां

27 नवंबर 2009 के ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.17 (ए.पी. (एफएल/आरएल सिरीज) परिपत्र सं.04) के संलग्नक एफ - भाग I के पैराग्राफ 4.10 (ख) के जरिए सभी प्राधिकृत व्यक्तियों को सूचित किया गया था कि वे वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) द्वारा समय-समय पर जारी किये गये विवरण (www.fatf-gafi.org) में पहचाने गये कतिपय क्षेत्राधिकारों के किसी व्यक्ति अथवा व्यवसायी के साथ व्यवहार

करते समय उस क्षेत्र में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों को ध्यान में रखे।

वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एलएटीएफ)ने इस विषय पर 25 जून 2010 को एक और विवरण जारी किया है, जिसकी एक प्रति परिपत्र के साथ संलग्न है।

[ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.25 /ए.पी.(एफएल/ आरएल सिरीज) परिपत्र सं.06 दिनांक 22 दिसंबर 2010]

अपने ग्राहक को जानिये (केवाइसी) मापदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) करने /धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्राधिकृत व्यक्तियों का दायित्व - मुद्रा अंतरण सेवा योजना के तहत सीमापार आवक धनप्रेषण

प्राधिकृत व्यक्तियों, जो मुद्रा अंतरण सेवा योजना के तहत भारतीय एजेंट हैं, का ध्यान 27 नवंबर 2009 के ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.18 (ए.पी. (एफएल सिरीज) परिपत्र सं.05) के संलग्नक I के पैराग्राफ 5.10 (ख) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें प्राधिकृत व्यक्तियों को सूचित किया गया था कि वे वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) द्वारा समय-समय पर जारी किये गये विवरण (www.fatf-gafi.org) में पहचाने गये कतिपय क्षेत्राधिकारों के किसी व्यक्ति अथवा व्यवसायी के साथ व्यवहार करते समय उस क्षेत्र में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों को ध्यान में रखे।

वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने इस विषय पर 25 जून 2010 को एक और विवरण जारी किया है, जिसकी एक प्रति परिपत्र के साथ संलग्न है।

[ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.26 {ए.पी.(एफएल/ आरएल सिरीज) परिपत्र सं.07} दिनांक 22 दिसंबर 2010]

अपने ग्राहक को जानिये (केवाइसी) मापदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) करने /धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्राधिकृत व्यक्तियों का दायित्व - मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियां

प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान 27 नवंबर 2009 के ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.17 (ए.पी. (एफएल /आरएल सिरीज) परिपत्र सं.04) के संलग्नक एफ-भाग -I के पैराग्राफ 4.10 (ख) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार प्राधिकृत व्यक्तियों को सूचित किया गया था कि समय-समय पर जारी किये गये वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) विवरण (www.fatf-gafi.org) में पहचाने गये कतिपय क्षेत्रधिकारों के किसी व्यक्ति अथवा व्यवसायी के साथ व्यवहार करते समय उस क्षेत्र में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों को ध्यान में रखे।

वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने एएमएल/ सीएफटी मानकों के अनुपालन की अपनी निरंतर समीक्षा के भाग के रूप में कतिपय क्षेत्राधिकारों की पहचान की है जिनमें स्ट्रैटीजिक एएमएल/ सीएफटी कमियाँ पायी गयी हैं। वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने 25 जून 2010 के अपने विवरण के जरिये विवरण में सूचीबद्ध क्षेत्राधिकारों से निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी कार्य योजना का कार्यान्वयन पूर्ण करने के लिए आग्रह किया है। विवरण में वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने अपने सदस्यों से विवरण में दी गयी आनकारी पर विचार करने के लिए अपील की है।

[ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.27 /ए.पी.(एफएल/ आरएल सिरीज) परिपत्र सं.08 दिनांक 22 दिसंबर 2010]

अपने ग्राहक को जानिये (केवाइसी) मापदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) करने /धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्राधिकृत व्यक्तियों का दायित्व - मुद्रा अंतरण सेवा योजना के तहत सीमापार आवक धनप्रेषण

प्राधिकृत व्यक्तियों, जो मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के तहत भारतीय एजेंट हैं, का ध्यान 27 नवंबर 2009 के ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.18 (ए.पी. (एफएल सिरीज) परिपत्र सं.05) के संलग्नक I के पैराग्राफ 5.10 (ख) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार प्राधिकृत व्यक्तियों को सूचित किया गया था कि समय पर जारी किये गये वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) विवरण (www.fatf-gafi.org) में पहचाने गये क्षेत्रधिकार के किसी व्यक्ति से व्यवहार करते समय एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों को ध्यान में रखे।

वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने एएमएल/ सीएफटी मानकों के अनुपालन की अपनी निरंतर समीक्षा के भाग के रूप में कतिपय क्षेत्राधिकारों की पहचान की है जिनमें स्ट्रैटीजिक एएमएल/

सीएफटी कमियाँ पायी गयी हैं। वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने 25 जून 2010 के अपने विवरण (प्रतिलिपि परिपत्र के साथ संलग्न) के जरिये विवरण में सूचीबद्ध क्षेत्राधिकारों से निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी कार्य योजना का कार्यान्वयन पूर्ण करने के लिए अपील की है। उक्त विवरण में वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने अपने सदस्यों से विवरण में दी गयी आनकारी पर विचार करने के लिए आग्रह किया है।

[ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.28 /ए.पी.(एफएल/आरएल सिरीज) परिपत्र सं.09 दिनांक 22 दिसंबर 2010]

भारत से बाहर दौरे पर निवासी भारतीयों द्वारा इंटरनैशनल डेबिट कार्ड/स्टोर वैल्यू कार्ड/चार्ज कार्ड/स्मार्ट कार्ड का उपयोग

विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत सभी बैंकों का ध्यान 14 जून 2005 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.46 के पैराग्राफ 4 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार उन्हें इंटरनैशनल डेबिट कार्ड धारकों द्वारा एक कैलेण्डर वर्ष में 1,00,000 अमरीकी डॉलर से अधिक की समग्र विदेशी मुद्रा के उपयोग के संबंध में प्रत्येक वर्ष, 31 दिसंबर की स्थिति के अनुसार एक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। यह निर्णय लिया गया है कि उल्लिखित विवरण रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करना बंद कर दिया जाए। तदनुसार, विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत सभी बैंकों को सूचित किया जाता है कि उल्लिखित विवरण कैलेण्डर वर्ष 2010 से प्रस्तुत करना बंद कर दें।

[ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.29 दिनांक 22 दिसंबर 2010]

एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) व्यवस्था - तेल तथा गैस के आयात के लिए भुगतान

एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) के जरिये लेनदेन करने के लिए क्रियाविधि के ज्ञापन पत्र की मद 7(ख) तथा 7 (ङ) के साथ पठित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.14/2000-आरबी के विनियम 5 के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के करार की शर्तों द्वारा तथा परिभाषित सभी पात्र चालू खाता लेनदेन तथा आस्थगित भुगतान टर्म पर एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) सदस्य देशों के बीच निर्यात/आयात लेनदेन एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) व्यवस्था के जरिये किये जाने हैं।

उपर्युक्त प्रावधानों की पुनरीक्षा की गयी है और अब यह निर्णय लिया गया है कि तेल तथा गैस के आयात के लिए भुगतान एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) व्यवस्था से बाहर किसी अनुमत मुद्रा में किये जाएं।

[ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.30 दिनांक 23 दिसंबर 2010]

एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) व्यवस्था - इंडो-ईरान व्यापार

एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) के जरिये लेनदेन करने के लिए क्रियाविधि के ज्ञापन पत्र की मद 7(ख) तथा 7(ङ) के साथ पठित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.14/2000-आरबी के विनियम 3 और 5 के अनुसार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के करार की शर्तों द्वारा यथा परिभाषित सभी पात्र चालू खाता लेनदेन तथा आस्थगित भुगतान शर्तों पर एशियाई संघ (एसीयू) के सदस्य देशों के बीच निर्यात/आयात लेनदेन एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) व्यवस्था के जरिये किये जाने हैं।

आयातकों / निर्यातकों द्वारा ईरान को भुगतान करने /से प्राप्तियों के संबंध में महसूस की जा रही कठिनाइयों को देखते हुए मौजूदा उपर्युक्त प्रावधानों की पुनरीक्षा की गयी है और यह निर्णय लिया गया है कि ईरान के साथ व्यापार लेनदेनों सहित सभी पात्र चालू खातागत लेनदेन के भुगतान / निपटान अगली सूचना दिये जाने तक, एसीयू व्यवस्था से बाहर किसी अनुमत मुद्रा में किए जाएं।

[ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.31 दिनांक 27 दिसंबर 2010]

ओवर दि काउंटर (ओटीसी) फॉरेन एक्स्चेंज डेरिवेटिव और कमोडिटी प्राइसेज़ तथा फ्रेट जोखिमों के लिए ओवरसीज़ हेजिंग के संबंध में व्यापक दिशानिर्देश

प्राधिकृत व्यापारी - श्रेणी I बैंकों का ध्यान 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 25/2000- आरबी, समय-समय पर यथा संशोधित, की ओर आकृष्ट किया जाता है जो विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदाओं को विनियमित करने वाले नियमों को निरूपित करती है। इसके अलावा बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 20 अप्रैल 2007 के परिपत्र सं. बैंपविवि.सं. बीपी.बीसी. 86/21.04.157/2006-07 में डेरिवेटिव के संबंध में जारी व्यापक दिशानिर्देशों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें अन्य

बातों के साथ-साथ डेरिवेटिव संबंधी लेनदेनों, उपयोगकर्ता (यूजर) के उचित होने, उत्पाद की उपयुक्तता और जोखिम प्रबंधन व्यवहार के संबंध में अपनाए जाने वाले सिद्धांतों को मोटे तौर पर शामिल किया गया है।

घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार में घटित गतिविधियों के मद्देनज़र ओटीसी विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव, पण्यों की कीमतों और भाड़ेगत जोखिमों संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों में बैंकों, कारपोरेटों तथा अन्य स्टेक होल्डरों से परामर्श करके संशोधन किया गया है। विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव तथा पण्यों की कीमतों और भाड़े संबंधी जोखिमों के बाबत ओवरसीज हेजिंग के संबंध में व्यापक दिशानिर्देशों को अनुबंध में दिया गया है। संशोधित दिशानिर्देश 1 फरवरी 2011 से प्रभावी होंगे।

20 अप्रैल 2007 के परिपत्र बैंपविवि.सं. बीपी.बीसी. 86/ 21.04.157/2006-07 में डेरिवेटिव के संबंध में जारी व्यापक दिशानिर्देशों में दिए गए सभी दिशानिर्देश और तत्पश्चात उनमें किए गए संशोधन, *आवश्यक परिवर्तनों सहित*, विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव के संबंध में भी लागू होंगे।

[ए.पी.(डीआईआर सिरीज़) परि. सं. 32
दिनांक 28 दिसंबर 2011]